रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67 / 2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –5 ● कानपुर 1 से 15 मार्च 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

दो वर्ष से कम अवधि के कोर्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये घातक

किसी भी चिकित्सा पद्धति में योग्य चिकित्सक तभी तैयार हो सकते हैं जब चिकित्सकों को हर चिकित्सकीय विषय का ज्ञान हो और इस ज्ञान के लिये यह आवश्यक है कि पढ़ाये जाने वाले विषयों का संयोजन इस प्रकार किया जाये ताकि चिकित्सक हर विषय में कुशलता हासिल कर सके और इस कुशलता के लिये दो वर्ष से कम की अवधि अपर्याप्त होती है यद्यपि इन दो वर्षों की अवधि में हर विषय को पूर्णतः के साथ बताया जा सके यह थोड़ा जटिल कार्य है, वैसे वर्तमान में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं लगभग सभी चिकित्सा पद्धतियों में साढ़े चार वर्ष का कोर्स संचालित हो रहा है इन साढ़े चार वर्षों में लगभग सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है चूँकि यह सारी पद्धतियां मान्यता प्राप्त की श्रेणी में हैं और यह कोर्स डिग्री स्तर के हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज के परिदृष्य में जो भी कोर्स संचालित किये जा सकते हैं वह सिर्फ सर्टिफ़िकेट स्तर के ही हैं पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी डिग्री और डिप्लोमा स्तर के कोर्स निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते थे लेकिन जबसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण की बात चली और विभिन्न संगठनों द्वारा पूरे देश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की मांग उठाई जाने लगी तब सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया उस समिति ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी संगठनों द्वारा डिग्री और डिप्लोमा स्तर के कोर्स संचालित नहीं किये जाने चाहिये, इसके पूर्व 18 नवम्बर, 1998 को एक जनहित याचिका में आदेश देते हुये माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूर्णकालिक डिग्री कोर्स नहीं संचालित किये जा सकते हैं, इसके साथ–साथ माननीय उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देशित किया था कि सरकार यह तय करे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रवेश लेने की न्यूनतम अहर्ता क्या होनी चाहिये और इसकी अवधि क्या हो ?साथ ही यह भी निर्देश दिया था कि सरकार यह भी तय करे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अपने नाम के आगे डाक्टर (क्तण) शब्द का प्रयोग करेगा या नहीं करेगा साथ ही साथ यह भी कहा था कि यह चिकित्सक चिकित्सकीय प्रमाणपत्र जारी करेंगे या नहीं करेंगे। लगभग 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी आजतक किसी भी राज्य सरकार ने इन बिन्दुओं पर निर्णय नहीं लिया बल्कि 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने एक आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिग्री और डिप्लोमा पर प्रतिबन्ध ज़रुर लगा दिया, आज स्थिति यह है कि सिर्फ प्रमाण पत्र कोर्स ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अधिकार पूर्वक संचालित किये जा सकते हैं यह अलग बात है कि अभी भी देश की कुछ संस्थायें इस आदेश की अवहेलना कर रही हैं जो कतई उचित नहीं है। अनाधिकार चेष्टा कभी भी फ़लदाई नहीं होती है, 05–05–2010 व 21 जून, 2011 के भारत सरकार के आदेश आने के बाद पूरे देश में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के कोर्स संचालित किये जाने लगे हैं, कोर्सों का संचालित करना कतई बुरा नहीं है यदि कोर्स संचालित नहीं होंगे तो नये लोग जुड़ेंगे कैसे ?और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास भी नहीं हो पायेगा। जिस ढंग से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोर्स संचालित किये जा रहे हैं वह चिन्ता का विषय है !

- कोर्सों की अवधि तय होनी ज़रुरी
- अंशकालिक कोर्स औचित्यहीन
- संचालक समझें वास्तविकता।
- सी0एम0ई0 से चिकित्सक तैयार न हों
- मानकों का करें गम्भीरता से पालन
- इण्टर (10+2) से कम अहर्ता व्यर्थ

प्रारम्भ में हम सी0एम0ई0 से बात प्रारम्भ करते हैं सी0एम0ई यानी बददजपदनम डमकपबंस म्कनबंजपवद सत्त चिकित्सा शिक्षा यह उन लोगों के लिये होता है जो पहले से ही चिकित्सक होते हैं और होने वाली नित्य नई खोजों, अनुसंधानों व विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से चिकित्सकों को परिचित कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ऐसे कार्यक्रमों से चिकित्सक हर समय अपडेट रहता है और समय–समय पर अपना ज्ञानार्जन भी करता है यह एक तरह का रिफ्रेशर कोर्स होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जब विभिन्न संगठनों द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये गये तो इन कार्यों का स्वागत किया गया और इसे समय की आवश्यकता भी माना गया। महाराष्ट्र राज्य से शुरु हुयी यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब होते हुये छत्तीसगढ़ व उत्तराखण्ड तक पहुँच चुकी है धीरे–धीरे इसका प्रसार दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हो रहा है, जबतक इस कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सकों को जानकारियां दी जाती रहीं, तबतक तो ठीक था यद्यपि कुछ लोगों नें दबी ज़ुबान से यह बात भी कही कि इस कार्यक्रम की आड़ में कुछ दवा निर्माता कम्पनियां अपनी औषधियों की बिक्री करती हैं बात यहाँ तक तो ठीक थी चिकित्सकों को औषधियाँ आसानी से मिलने लगी थीं और औषधियों के चयन के विकल्प भी उनके पास मौजूद हो गये थे लेकिन जब इसी कार्यक्रम की सफ़लता ने गलत मोड़ ले लिया तो निश्चित रुप से ऐसे कार्यक्रमों पर सन्देह पैदा होने लगा।

कुछ संस्थाओं ने तो सी0एम0ई0 के आड़ में चिकित्सक भी बनाने शुरु कर दिये यह किसी भी दृष्टिकोंण से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये लाभकारी नहीं हो सकता है। चिकित्सक बनने के लिये न्यूनतम अहर्ता व न्यूनतम अवधि पहले से ही निर्धारित है, फिर इतने कम समय में चिकित्सक कैसे बन सकते हैं ?यह चिकित्सा विधा के साथ किये जाने वाला क्रूर मज़ाक नहीं तो और क्या है ?इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की यात्रा में देर सबेर यह कार्यक्रम रोड़े की तरह ही नज़र आयेंगे अच्छे कामों का समर्थन होना चाहिये और जिन कार्यों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हानि होने का सन्देह हो तो ऐसे कार्यों की भरपूर निन्दा भी होनी चाहिये क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति है और इसका विकास योग्य चिकित्सकों के हाथों से सम्भव है, न कि अधकचरे लोगों से, दूसरा मध्य प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालयों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स प्रारम्भ किये स्वागत योग्य कदम था परन्तु जिस स्तर के और जिस अवधि के यह कोर्स फ्रेम किये गये हैं उनकी सफलता प्रारम्भ से ही संदिग्ध रही है, एक विश्वविद्यालय ने तो न्यूनतम अहर्ता हाई स्कूल रखी और अवधि एक वर्ष यह किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिये उपयुक्त कोर्स नहीं है, निजी विश्वविद्यालय हैं उनको कोर्सों की संरचना करने का विशेषाधिकार प्राप्त है परन्तु जब कोर्सों की संरचना की जाये तो ऐसे पाठ्यक्रमों की उपयोगिता और गुणवत्ता पर चिन्तन अवश्य होना चाहिये , सामान्य पाठ्यक्रमों की बात अलग है लेकिन जब बात व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की हो तो उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और जब चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों की संरचना की जाती है तो वहाँ पर यह बात गम्भीरतापूर्वक अवश्य सोचना चाहिये कि जो पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उनका पंजीयन कहाँ होगा ? क्योंकि चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों में पंजीयन का होना अतिआवश्यक होता है कोई भी चिकित्सकीय योग्यताधारी अपनी योग्यता का उपयोग तभी कर सकता है जब उसके द्वारा धारित योग्यता का पंजीयन हो सके, यह सत्य है कि विश्वविद्यालय पंजीयन का कार्य नहीं करते हैं इस कार्य के लिये पृथक परिषदें होती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन विश्वविद्यालयों से जो योग्यता ग्रहण करेंगे उन्हें प्रैक्टिस करने हेतु किस परिषद में पंजीयन कराना पड़ेगा ?वैसे तो अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में संचालित हो रही परिषदें ही पाठ्यक्रमों का निर्धारण करती हैं और सफ़लता पूर्वक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद सफ़ल अभ्यर्थियों का पंजीयन वही परिषदें करती हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा कोर्स संचालित करने के बाद मध्य प्रदेश में पूर्व से संचालित हो रहीं परिषदें धीरे–धीरे कार्यविहीन हो रही हैं लेकिन विश्वविद्यालयों को भी वह सफ़लता नहीं मिल रही है जिसकी उन्होंने अपेक्षा कर रखी थी, यह सब कहीं न कहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास को बाधित कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों से यह बात प्रकाश में आयी है कि महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स संचालित होना प्रस्तावित है यह कोर्स सत्र 2016–17 के लिये है, यह कोर्स एक वर्ष की अवधि का अंशकालिक कोर्स है इसमें प्रवेश लेने की योग्यता मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की उपाधि के साथ–साथ बी0ई0एम0एस0 योग्यताधारी भी प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं, लोग तो यहाँ तक प्रचारित कर रहे हैं कि यह कोर्स विशेषज्ञता कोर्स की तरह होगा। अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार के कोर्सों में कितने लोग प्रवेश लेते हैं ?इलेक्ट्रो होम्योपैथों के लिये सिर्फ बी0ई0 एम0एस0 योग्यताधारियों को अवसर प्रदान करने की बात की जा रही है तो यह बात समझ से परे है कि जिन चिकित्सकों के पास बी0ई0एम0एस0 शीर्षक से भिन्न योग्यतायें हैं उन्हें इससे क्यों दूर रखा गया है ?दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक वर्षीय कोर्सों का कोई महत्व नहीं है मांग तो हमारी यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को वही सुविधायें प्राप्त हों जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को प्राप्त हैं परन्तु जब योग्यता प्राप्त करने की बात आती है तो अवधि कम से कम कर दी जाती है यह दोहरे मापदण्ड कैसे प्रभावी हो सकते हैं ?यदि आप चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों पर एक नज़र डालें तो एक बात स्पष्ट नज़र आ जायेगी कि चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम ही उपयोगी होते हैं, अंशकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सिर्फ़ ज्ञान पैदा किया जा सकता है न कि व्यवसाय। चिकित्सा जगत में जो पैरा मेडिकल कोर्स संचालित होते हैं उनकी अवधि भी न्यूनतम दो वर्ष की होती है और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट (10+2) होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सारे कोर्स पूर्णकालिक स्तर के होते हैं अंशकालिक जैसे नहीं। जब पैरा मेडिकल कोर्सेज़ के लिये यह न्यूनतम स्तर है तो फ़िर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिये न्यूनतम स्तर से भी नीचे क्यों जाने की आवश्यकता हो रही है ?यह एक ऐसा प्रश्न है जिसपर इस तरह के कोर्सों के समर्थकों को बार–बार विचार करना होगा क्योंकि इस प्रकार के कोर्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिये कभी भी हितकारी साबित नहीं हो सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस समय पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के नियमतीकरण की मांग उठाई जा रही है, देश में जगह–जगह मान्यता और नियमतीकरण के लिये आन्दोलन भी चलाये जा रहे हैं सरकार का ध्यान भी इस तरफ़ है, पता नहीं किस दिन सरकार इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर दे, तब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ता–धर्ताओं को ही जवाबदेही देनी होगी, किसी भी चिकित्सा पद्धति के नियमतीकरण के पहले उस चिकित्सा पद्धति के आधारभूत ढाँचे का परीक्षण किया जाता है और चिकित्सा पद्धतियों का आधार होता है उसके पाठ्यक्रम और उसकी अवधि यदि पाठ्यक्रमों में और उसकी अवधि में कमी पायी जाती है तो विनियमतीकरण का कार्यक्रम पहले ही चरण में अधोगति को प्राप्त कर लेगा। इसलिये हम सबको चाहिये कि ऐसी स्थिति निर्मित ही न होने दें और जो लोग ऐसी स्थितियों के निर्माण में सहायक हैं व इस प्रकार के गतिविधियों के समर्थक हैं उनका एक स्वर से विरोध होना चाहिये। चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज इतनी अच्छी स्थिति में खड़ी है जहाँ से विकास के हर रास्ते स्पष्ट नज़र आ रहे हैं एक ज़रा सा गैर जिम्मेदाराना कदम आपको वर्षों पीछे ढकेल देगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दो वर्ष से कम अवधि के पूर्णकालिक कोर्सों की आवश्यकता नहीं है इससे कम अवधि के पाठ्यक्रम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कभी भी उपयोगी नहीं होंगे और अंशकालिक पाठ्यक्रम का इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई स्थान नहीं है। अस्तु न्यूनतम स्थापित मापदण्डों की अनदेखी कभी न करें चूँकि आने वाले समय में पाठ्यक्रमों को ही आधार बना कर सरकार द्वारा भविष्य की नीतियां तय की जानी हैं, इसलिये क्षणिक लाभ पाने के लिये दूरगामी हितों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिये, जिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही हो वह समस्त चिकित्सा पद्धतियों के पाठ्यक्रमों को अपने सामने रखकर आत्मालोकन करें फिर यह निर्णय लें कि अहर्ताओं और अवधियों का क्या महत्व है ?इसको समझने के लिये व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं को एक किनारे रखना पड़ेगा तभी तर्कसंगत निर्णय लिया जा सकता है, अब वह समय आ गया है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत से जुड़े हर व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण विषय पर गम्भीरता से सोचना होगा। बात एक राज्य की नहीं है एक छोटी सी गलती पूरे देश को प्रभावित कर देती है, पुरानी गलतियों से हमें सीखना होगा चूँकि जो कुछ भी हमसब गंवा चुके हैं उससे ज़्यादा गंवाने की हिम्मत अब बिरले ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ में होगी।

इसलिये एक स्वर से कहो दो वर्ष से कम अवधि के पाठ्यक्रम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्वीकार नहीं हैं।

आन्दोलन और तकनीक

आन्दोलन के माध्यम से हर चीज़ प्राप्त नहीं होती है, हाँ ! यह ज़रुर है कि आन्दोलन के माध्यम से जन जागरुकता पैदा की जा सकती है और जिस व्यक्ति से जो कुछ पाना है उस पर दबाव बनाया जा सकता है, दबाव तो इस हद तक बनाया जा सकता है कि देने वाले को हम विवश कर सकते हैं कि वह हमारी माँग पर गम्भीरता से विचार करे और विचारोपरान्त जो अधिकार है उसे अवश्य दे यह बात हर जगह नहीं लागू होती है लेकिन पता नहीं क्यों हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ के नायक इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं,इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आन्दोलन की आवश्यकता है मगर वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ़ रचनात्मक आन्दोलन की। रचनात्मक आन्दोलन से तात्पर्य है कि पूरे देश में एक ऐसा आन्दोलन चलाया जाये जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथों के मध्य यथार्थ कार्य संस्कृति जन्म ले तभी कुछ पाया जा सकता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सदैव से ही एक आन्दोलन का स्वरुप प्राप्त है और यह आन्दोलन कभी भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विषय इतना विस्तृत है कि जहाँ पर कार्य करने की अपार सम्भावनायें हैं और इन्हीं सम्भावनाओं को तलाशने के लिये तन के साथ–साथ मन को भी आन्दोलित करना पड़ेगा आज पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा आन्दोलन खड़ा किया जाये जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल सके। मान्यता की जुगत में तरह–तरह के सुझाव दिये जा रहे हैं और तो और कुछ लोग इसे आर–पार की लड़ाई बता रहे हैं। मित्रों ! मान्यता पाना लड़ाई नहीं है बल्कि एक संघर्ष है जिस तरह से मनुष्य जीवन में कुछ भी पाने के लिये संघर्ष करता है और एक पाने के बाद नया पाने के लिये संघर्ष करता है अर्थात पूरे जीवन काल में मनुष्य खोने और पाने के बीच संघर्ष करता रहता है आर–पार से इति हो जाती है और जीवन में इति नहीं होनी चाहिये बल्कि चिरन्तन होना चाहिये, चलते रहने से जीवन का आभास होता है और जीवन है तो कार्य है। यदि हमें आन्दोलन ही करना है तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पहले स्वयं को उस आन्दोलन के योग्य बनायें तब दूसरों को इस आन्दोलन से जोड़ें हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कुछ नायकों का चिन्तन है कि संख्या बल के आधार पर सबकुछ पाया जा सकता है और अपनी बात की पुष्टि के लिये विधान सभा और लोक सभा का उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति की कमी या ज़्यादा होने से सरकारें गिरतीं और बनती हैं सरकारों के सन्दर्भ में तो यह उदाहरण एकदम ठीक है लेकिन निजी व सामाजिक जीवन में यह तर्क कसौटी पर खरा नहीं उतरता, आन्दोलनों का परिणाम क्या होता है ?उससे क्या प्राप्त होता है ?और कैसे प्राप्त होता है ?तीनों बातें जब समाविष्ट हो जाती हैं तभी परिणाम निकलते हैं हमारे सामने आरक्षण के दो ताज़े उदाहरण हैं:– पहला गुजरात का पटेल आन्दोलन दूसरा जाट आरक्षण आन्दोलन, दोनों में क्या हुआ ?जन और धन दोनों की हानि हुई और बात कानून बनाने पर ही आकर रुकी जो कानून में है और विधि सम्मत है वही आपको प्राप्त होता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मान्यता का दूसरा अर्थ कानून का बनना यानि हर कार्य एक वैधानिक ढंग से होना, क्या हम सब अपने आप को इसके लिये तैयार कर चुके हैं ?उत्तर कमोबेश नहीं में ही आयेगा। सभी संस्था संचालक जानते हैं कि हर संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र उसके अधिकार के हिसाब से ही होता है जैसे हर चिकित्सक को जिसे जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसका पंजीयन उसी राज्य के परिषद में होना आवश्यक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी भी संस्थाओं के मध्य इस विषय पर मतभेद हैं पाठ्यक्रमों की स्थिति कैसी हो ?इसमें भी समानता नहीं है, औषधि निर्माण के क्षेत्र में जिस तकनीक का प्रयोग होना चाहिये उसमें भी एक रुपता नहीं है और यही सब विभिन्नतायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन की सफ़लता की राह में रोड़े हैं यदि इन्हें समय रहते दूर नहीं किया गया तो किसी भी अन्दोलन के सफ़ल होने की कामना नहीं की जा सकती है सफ़लता के लिये महत्वपूर्ण पहलू होता है उसके तकनीकी पक्ष का मज़बूत होना क्योंकि सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारी हर तकनीक के बहुत बारीक जानकार होते हैं।

हर तरफ़ दवा ही दवा

लोगों को कुछ मिले तो परेशान ! नहीं मिले तो परेशान !! ज़्यादा मिले या आसानी से मिले तब तो और भी हैरान !!! मुशकिल से मिले तो हो जाते हैं हलाकान !!!! पता नहीं लोगों को संतुष्टि कब, कहाँ और कैसे मिलती है ? जब इस विषय पर सोच विचार होता है तो मामला वहीं का वहीं आकर अटक जाता है जहाँ से यह शुरु होता है, या हम यूँ कहें कि यह एक मानव सोच का अन्तहीन सिलसिला है जिन्दगी में तो सिलसिले बनते और बिगड़ते रहते हैं लेकिन सोचने का सिलसिला कभी कम नहीं होता यह बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में हो रही है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है हमें कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा है कि हर तरफ़ इसी चिकित्सा पद्धति की चर्चा होती है ***लेकिन !*** सिर्फ़ चर्चा ही होती है कार्य नहीं होता और हम सब इसी में प्रसन्न हैं कि हमारे चिकित्सा पद्धति की हर तरफ़ चर्चा हो रही है, कुछ लोग तो यह मानते हैं कि जो चर्चा में रहता है वह कभी न कभी कुछ पा ही जाता है जबकि हमारी सोच इससे थोड़ी अलग है चर्चा में तो हम भी रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा हमारी न होकर हमारे काम की हो तो मज़ा आता है लोग कहते हैं कि ***यार !*** वक्त बदल गया है हर तरफ़ तुम्हारा ही जलवा है और व्यंग से गुनगुनाने लगते हैं ***" हर तरफ़ तेरा ही जलवा "*** जब यह सुनते हैं तो दिल बाग–बाग हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि बजट छपने से पहले का हलुवा हम खा रहे हैं, इस हलुवे की मिठास तभी तक रहती है जबतक वित्तमन्त्री जी अपने पिटारे से करों का बोझ नहीं डालते जैसे ही कर लगते हैं भाव बदल जाते हैं और मन बरबस ही यह कह देता है ***" क्या हुआ तेरा वादा "*** इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यह बात आज के सन्दर्भ में एकदम सटीक बैठ रही है चूँकि ज्यों–ज्यों इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हो रहा है त्यों–त्यों प्रचार व प्रसार के नये–नये हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं यह लेख जिस सन्दर्भ में लिखा जा रहा है उसकी मूल आत्मा यह है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के विकास की मेरुदण्ड उसकी औषधियां ही होती हैं क्योंकि मनुष्य सदैव से ही स्वस्थता का प्रबल समर्थक रहा है चूँकि चिकित्सा विज्ञान भी स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की बात करता है फिरभी देश काल और वातावरण से प्रभावित होकर मनुष्य के आहार विहार में एकरुपता नहीं रह पाती है परिणामोंस्वरुप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धान्तानुसार रस और रक्त में असन्तुलन पैदा होता है और शरीर रुग्ण हो जाता है और इस रुग्णता को दूर करने के लिये औषधियों की आवश्यकता होती है रोगी रोगमुक्त की इच्छा से चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक तब अपनी पूरी योग्यतानुसार रोगी का परीक्षण कर रोग की तीव्रता के आधार पर औषधियों का परामर्श देता है और इन्हीं औषधियों के प्रभाव से रोगी रोगमुक्त होकर चिकित्सक और चिकित्सा पद्धति की मुक्त कण्ठ से सराहना करता है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि किसी चिकित्सा पद्धति का विकास औषधियों के गुणवत्ता के आधार पर ही सम्भव है इसलिये औषधियों की गुणवत्ता पर और उपयोगिता पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी चूँकि अभी भी आम जन के मध्य इतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी की अन्य प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं, ऐसा क्यों है ?

इसके कारण पर हम नहीं जायेंगे क्योंकि उन कारणों से हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ भली–भाँति परिचित हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है फिर भी इस चिकित्सा पद्धति को कुछ खास लोगों के बारे में ही ज़्यादा प्रभावी माना गया है जैसे कैन्सर, दमा, कुष्ठ रोग, मधुमेह व गुप्त रोग यह सारे के सारे रोग असाध्य रोगों की श्रेणी में आते हैं लेकिन यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सौभाग्य है कि ***जब–जब इन असाध्य रोगों पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी कसौटी पर कसी गयी तब–तब इस पद्धति के दवाओं ने अपना पूरा असर दिखाया कि इन दवाओं में वह दम–खम है जो अन्य जगह दिखायी नहीं पड़ती हैं,*** कैन्सर जैसे गम्भीर रोग में जब रोगी दर्द से तड़प रहा होता है रेडियो थिरेपी और कीमोथिरेपी भी अपना काम नहीं करती है तब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां अपना पूरा असर दिखाती हैं।

इनसब घटनाक्रमों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां गुणकारी एवं लाभकारी हैं यह गुण और लाभ तभी तक सम्भव है जबतक औषधियों के निर्माण में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाये, यदि आज से 100 साल पहले जायें तो उन दिनों चिकित्सक रोगी की आवश्यकतानुसार औषधियां का निर्माण स्वयं कर लिया करते थे लेकिन ज्यों–ज्यों विकास की धारा बही यह काम औषधि निर्माता कम्पनियों के हाथ में आ गया और देखा जाये तो एक तरह से ठीक ही हुआ क्योंकि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होता है जो जिसका क्षेत्र है अगर वह उसमें कार्य करे तो बहुत विशेषज्ञता से कार्य को सम्पादित कर लेता है चिकित्सक यदि अपनी पूरी ऊर्जा व क्षमता चिकित्सा व्यवसाय में लगाता है तो वह अपने विषय में माहिर हो जाता है और जो औषधि निर्माता हैं वे भी नित्य नई हो रहे शोधों का अपने औषधियों में समावेश करके औषधियों को और अधिक गुणकारी बनाती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में औषधियों के क्षेत्र में काफी परेशानी रही है जिसमें सिर्फ़ कुछ ही लोगों को दवा के व्यवसाय का अनुभव था क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में एकमात्र कम्पनी जे0एस0ओ0 ही थी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां बनाती थी और यह कम्पनी जर्मनी मे है, भारतवर्ष में कोई भी दवा का निर्माण नहीं करता था जो लोग जर्मनी से दवा मंगाते थे उन्की भी संख्या बहुत सीमित थी फलस्वरुप दवा के क्षेत्र में कुछ ही लोगों का एकाधिकार था इसी एकाधिकार के कारण दवाओं के मूल्यों में कोई नियन्त्रण नहीं था और तो और जिससे मन नहीं मिलता था उससे यह एकाधिकारी लोग व्यवसाय तक नहीं करते थे दूसरे शब्दों में कुछ तो दवाई की कमी थी और कुछ कृत्रिम आभाव भी समय–समय पर बना दिया जाता था जिससे चिकित्सक को अपने व्यवसाय में बहुत असुविधा होती थी और रोगी भी दवाओं के लिये असहज हो जाता था। समय ने करवट ली और लोगों का एकाधिकार टूटा आज पूरे देश में बहुत सारी कम्पनियां इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दवा निर्माण के क्षेत्र में कूद चुकी हैं, कल तक जो दवायें सुलभ नहीं थीं आज वहीं दवायें सर्व सुलभ हो गयी हैं, कम्पनियों के बढ़ने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गयी है और प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्यों में भी नियन्त्रण हो गया है कल तक बेचारा जो चिकित्सक दवाओं के लिये परेशान दिखाई पड़ता था वही आज वही दवायें अपनी क्लिनिक में ही पा जाता है और तो और अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधिनिर्माता कम्पनियां अपने–अपने मेडिकल रिप्रेजन्टेटिव के माध्यम से हर चिकित्सक तक पहुँचने में सफ़ल हो रही हैं इससे चिकित्सकों की तो बल्ले–बल्ले है चिकित्सक भी कम्पनियों से खूब मोल–भाव करने लगे हैं कुछ चिकित्सक तो रिप्रेजन्टेटिव से बाकायदा गिफ्ट के साथ कमीशन पर भी चर्चा कर रहे हैं ठीक है जिसमें जो लाभ है उसे वह लाभ लेना चाहिये परन्तु लाभ के चक्कर में गुणवत्ता से कतई समझौता नहीं करना चाहिये, चूँकि भारी कमीशन के चक्रव्युह में यदि दवा अपना काम ठीक ढंग से नहीं करेगी तो निश्चित जानिये कि इसके दुष्परिणाम चिकित्सक के साथ–साथ चिकित्सा पद्धति पर भी पड़ता है, कुछ लोग कम्पनियों की बढ़ती बाढ़ से चिन्तित दिखाई दे रहे हैं वह धीरे से कहते हैं कि आज से कुछ वर्षों पहले लोगों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विद्यालय संचालन में मज़ा आता था धीरे–धीरे यही लोग बोर्ड और काउन्सिलों का संचालन करने लगे और एक समय वह स्थिति आ गयी थी जब ***एक–एक प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की 30 से लेकर 40 तक शीर्ष संस्थायें हो गयी थीं इस भीड़ का क्या परिणाम हुआ यह तो सभी जानते हैं,*** इसी तरह से आज हर राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि निर्माण के प्लान्ट लग रहे हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह कार्य बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, हिमाँचल और उत्तराखण्ड जैसे पर्वती राज्य में स्थापित कम्पनियों के संचालक यह दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा गुणकारी औषधियां उन्हीं के प्रदेश में बन रहीं हैं क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों में प्रयोग किये जाने वाले लगभग सभी पौधे इन्हीं राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं इनके दावों पर कितना दम है ?

यह तो दावा करने वाले ही अच्छी तरह जान सकते हैं हम तो बस इतना ही चाहेंगे कि औषधियों का बनना चिकित्सकों तक आसानी से पहुँचना, मूल्यों में नियन्त्रण होना निःसन्देह यह सभी अच्छी बातें हैं परन्तु इन बातों को पूरा करने में कभी भी मानकों की अनदेखी नहीं करनी चाहिये तथा गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिये, उन लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिये जो अपनी औषधियों के रैपर में यह लिखते हैं कि **For Development & Promotion** क्योंकि मानव शरीर अनुसंधान करने के लिये नहीं है उनपर उन्हीं दवाओं का प्रयोग होता है जो पहले से ही परीक्षित होती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के बारे में वैधानिक और गुणवत्ता की स्थिति पहले से ही स्पष्ट है तभी तो ***यह German Homoeopathic Pharmacopoeia में शामिल की गयी हैं यह इस बात का परिचायक है।***

हर तरफ़ अब तेरे ही अफ़साने हैं....

जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कहा जाता है कि हर तरफ़ आजादी के तराने ही गाये जाते थे बच्चा हो या बूढ़ा नर हो या नारी युवा हो या वृद्ध, हर एक के मन में बस एक यही भाव था कि देश को आजादी मिले और अपना राज कायम हो, सारे के सारे लोग आन्दोलनरत थे जो जिस स्तर का था वह अपने हिसाब से देश की आज़ादी में अपना योगदान दे रहा था उस समय लोगों के मन में स्वार्थ की कोई भावना नहीं थी, न कुछ पाने की इच्छा थी, बस एक ही चाहत थी कि कैसे भी हो देश को आजादी मिले, आजादी के आन्दोलन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इस आन्दोलन में हिस्सा लेने वाला हर व्यक्ति धर्म, जाति, रंग, क्षेत्र, भाषा, व्यवहार से ऊपर उठकर नि–स्वार्थ भाव से समर्पित था और इसी समर्पण का परिणाम था कि देश को आज़ादी मिली और अपना राज हुआ, आज़ादी की लड़ाई को जोड़कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वर्तमान आन्दोलन को बहुत अधिक प्रेरणा मिल सकती है, कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन आज जो चरम पर है वहां पर उसे सिर्फ़ प्राप्ति की आकांक्षा है यह प्राप्ति व्यक्तिगत न होकर सिर्फ़ चिकित्सा पद्धति के लिये हो इस आन्दोलन को गति तभी मिल सकती है जब इस आन्दोलन के संचालकगण अपना–पराया का भेद भूलकर सिर्फ़ चिकित्सा पद्धति के बारे में ही बात करें, कहने और सुन्ने में तो यह बातें बड़ी ही अच्छी लगती हैं परन्तु सच्चाई के धरातल पर वस्तुस्थिति कुछ और ही दिखाई पड़ती है कहने को तो भारतवर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने संगठन कार्य कर रहे हैं वे सारे के सारे यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिले लेकिन मान्यता के लिये जो सामूहिक और वास्तविक प्रयास होने चाहिये वह दूर–दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इससे कभी–कभी बलवती हो रही आशा भी कमज़ोर पड़ने लगती है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शासकीय संरक्षण के लिये प्रयास नहीं किये गये, प्रयास तो लगातार किये गये हैं और परिणाम भी मिले हैं लेकिन उन परिणामों का हम ही सही उपयोग नहीं कर पाये और जहाँ से चले थे वहीं पर फिर खड़े हो गये। इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज जहाँ जिस स्थिति में खड़ी है वह किसी एक व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम नहीं है जितने भी लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिस क्षेत्र से जुड़े थे हर एक का अपना–अपना योगदान है यह बात अलग है कि किसी का योगदान चर्चा का विषय बना और किसी का योगदान जुबान पर भी नहीं आया, यह बात अलग है कि जो चर्चा में रहे वह ज़्यादा चर्चित हो गये और जिन्होंने शान्त होकर अपना योगदान दिया उन्हें व्यक्तिगत सन्तोष प्राप्त हुआ, चर्चा में तो दोनों ही आये। एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिये किसी भी भवन के निर्माण में जितना महत्वपूर्ण योगदान नींव की ईंट का होता है उतना ही योगदान कंगुरे की ईंट का होता है यह बात अलग है कि नींव की ईंट दिखती नहीं है और कंगुरा ऊपर होने पर इतराता है, लेकिन यदि नींव हिल जाती है तो कंगूरे का अस्तित्व नहीं बचता है यह बात हर आन्दोलन में लागू होती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन की बात करें तो आज़ादी के तत्काल बाद ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का अवसर मिला था और इस अवसर को बखूबी उपयोग भी किया गया यह अलग बात है कि इस अवसर से जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे व्यक्तिगत उपलब्धि मानी गयी अगर उस समय सूझ–बूझ से काम लिया गया होता और प्राप्त उपलब्धि का भरपूर प्रयोग किया गया होता तो शायद आज स्थिति कुछ और ही होती कम से कम ऐसी कल्पना तो हम कर ही सकते हैं, उस उपलब्धि से कुछ हुआ हो या न हुआ हो चिकित्सकों के बीच चेतना का अविर्भाव ज़रुर हुआ ततकालीन चिकित्सक जो अपने आपको उपेक्षित और अवैधानिक मानते थे उनके मनोभाव में परिवर्तन हुआ और पूरी लगन और ऊर्जा के साथ काम करने का भाव भी जागृत हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक पूरे मन के साथ प्रैक्टिस करने के लिये समाज में उतरे जिसका लाभ यह हुआ कि अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सिर्फ़ बुज़र्ग और रिटायर्ड व्यक्ति या तो जानकारी के लिये या फिर समाज सेवा के लिये और कुछ लोग व्यक्तिगत घरेलू चिकित्सा के लिये इस विधा को सीखते थे उनके स्थान पर अब युवा वर्ग भी इस चिकित्सा पद्धति में प्रविष्ठ हुआ और अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति इस चिकित्सा पद्धति को भी व्यवसाय के रुप में लिया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सकारात्मक आन्दोलन का परिणाम ही था कि सन् 1980 तक इस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक अपना ज्ञानार्जन गुरु–शिष्य परम्परा के आधार पर करते थे, परन्तु 80 के दशक में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और इस पद्धति की शिक्षण व्यवस्था विद्यालयी पद्धति पर प्रारम्भ हो गयी और एक निश्चित योग्यता के साथ निश्चित अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किये जाने लगे इसका श्रेय भी उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त है। विद्यालयी शिक्षा की परम्परा कानपुर शहर से प्रारम्भ होकर पूरे देश में फैली इस सन्दर्भ को लगभग देश के सभी कोनों में स्वीकारा गया और शिक्षण सुव्यवस्थित तरीके से चलते हुये समाज में अपनी स्थिति मज़बूत की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मज़बूत करने के लिये मात्र शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी ज़बरदस्त कार्य हुआ है।

प्रारम्भिक दिनों में केवल डा0 मैटी, डा0 ए0 जे0 एल0 गिल्डन, डा0 थ्यूडरक्रॉस के साथ–साथ भारतीय लेखकों में डा0 कुलकर्णी व डा0 नन्द लाल सिन्हां की पुस्तकें ही प्राप्त हुआ करती थीं लेकिन ज्यों–ज्यों विकास होता गया नये साहित्यकार इससे जुड़ते गये और नवीन जानकारियां भी उपलब्ध हुयीं, साहित्य के साथ लोगों तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गतिविधि के बारे में पता लगे इस हेतु पत्र–पत्रिकाओं का भी प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, अभी तक जो लोग लन्दन से प्रकाशित मॉडर्न मेडिसिन पर ही आधारित थे उनकी जानकारी के लिये भारत से माडर्न रेमेडीज़ व इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिससे लोगों को ढेर सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, वर्तमान में लगभग 100 के आस–पास पत्र/पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है जिससे कि पूरे देश की हलचल पता लग जाती है। जब यह सारी बातें एक–एक करके मानस पटल पर आती हैं तो कुछ क्षणों के लिये हम स्वयं को गर्वान्वित महसूस करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि तब लोग ज़्यादा समर्पित थे या अब ! मन मयूर नाचने लगता है जब वह विचार मन में आता है कि किस तरह से दिल्ली के प्रथम स्वस्थ्यमन्त्री एवं दिल्ली के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के फाउण्डर डा0 युद्धवीर सिंह इलेक्ट्रो होम्योपैथी से स्नेह करते थे और होम्योपैथ होते हुये भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग अपने रोगियों पर करते थे लाभ होने पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रशंसा करने से भी पीछे नहीं हटते थे, यह सब सकारात्मक आन्दोलन का परिणाम था, आन्दोलन रचनात्मक हो तो विकास में देर नहीं लगती बाधायें तो आती हैं लेकिन उन्हें पार करना मनुष्य का ही काम है, चूँकि यदि आदमी के जीवन में बाधायें नहीं आयेंगी तो उसमें संघर्ष करने की क्षमता पैदा नहीं होगी, सतत् काम करते रहने की इच्छा ही परिणाम देती है किसी गीतकार ने सही कहा है रुक जाना नहीं तूँ कहीं हार के, काँटों पे चलके मिलेंगे साये बहार के। यह सारी की सारी उक्तियां हमें अपने जीवन में धारण करके भविष्य की रुपरेखा तय करनी होती है मन में हो विश्वास तो होंगे कामयाब यह हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथों का ध्येय वाक्य होना चाहिये, सफ़लतायें मिल रही हैं, आगे भी मिलेंगी लक्ष्य को पाने के लिये हमें अपनी प्रतिबद्धताओं से डिगना नहीं चाहिये, अभी मन्ज़िल दूर है और रास्ता भी उतना सुगम नहीं है जितना कि दिखायी पड़ता है इस ऊबड़–खाबड़ रास्ते पर चलते हुये न तो हटना है न डिगना है और न ही मन को अस्थिर करना है, आन्दोलन की जो डगर हमसब ने जो चुनी है उसे अन्त तक पहुँचाना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिये लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता कभी अन्तहीन नहीं होता यह अलग बात है कि एक लक्ष्य के बाद हम नया लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और यह गति तबतक चलती रहती है जबतक जीवन है।

जीवन की सार्थकता लक्ष्य पाने में है लक्ष्य से भटकने में नहीं, आदमी का यह उद्देश्य होना चाहिये कि तब तक अनवरत कार्य किया जाये जब तक जो हमारा ध्येय था वहां तक पहुँच न जायें कवि ने ठीक ही कहा है कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना मुझको पथिक विश्राम कहां ?आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन जिस चरम पर है यदि वह उसी गति से चलता रहा तो निश्चित रूप से आन्दोलन सफ़लता को प्राप्त करेगा यदि आन्दोलन की दिशा बदली गयी तो हो सकता है कि परिणाम कुछ अपेक्षित न आयें आज जरूरत है सिर्फ़ कार्य करने की और कार्य करते हुए सरकार पर यह दबाव बनाना है कि हमारे कार्यों का मूल्यांकन हो और मूल्यांकन के आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को भी काम करने का अन्य चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की भाँति सारी सुविधायें प्राप्त हों तभी हमारा एक उद्देश्य पूरा होगा हाँ ! यदि कार्य करने के उपरान्त भी सरकारों द्वारा इस चिकित्सा पद्धति की उपेक्षा की जाती है तब तो आन्दोलन को मोड़ देने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बहुत दिनों तक उपेक्षा स्वीकार नहीं होती है लेकिन यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि यदि हम अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी समर्पित होना होगा क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यदि प्राप्त अधिकारों का हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो उन अधिकारों का पाना न पाना व्यर्थ होता है।

आज जो भी आन्दोलन चलाये जा रहे हैं वह अधिकार प्राप्त करने के लिए ही हैं इसलिए हम कार्य करते हुए आन्दोलन को गति दें।

डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई को वर्ष 2014–15 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रदत्त सम्मान पत्र डा0 वी0 कुमार द्वारा प्रदान किया गया।–छाया गज़ट

डट कर कार्य करें इलेक्ट्रो होम्योपैथ – डा0 इदरीसी

प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ डटकर कार्य करे और कार्य से प्राप्त परिणामों का अपने स्तर से प्रचार करे तभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त करेगी यह विचार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 मो0 हाशिम इदरीसी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथों के एक प्रतिनिधि मण्डल से कही। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति की जानकारी के लिए प्रदेश के कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक प्रतिनिधि मण्डल के रूप में डा0 इदरीसी से मिले और उनसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य पर गहराई सेवार्ता की अधिकांश चिकित्सकों के मन में यह भ्रम था कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है तो सब लोग किस आधार पर यह कहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करो इसके उत्तर में डा0 इदरीसी ने कहा कि मान्यता और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मान्यता के बाद भी अधिकार मिलता है और अधिकार तो अधिकार है। देश में चिकित्सा करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारी 21 जून, 2011 का आदेश ही चिकित्सा व्यवसाय का आधार है यह आदेश पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान की अनुमति देता है और इस आदेश को देश के हर राज्य में लागू भी होना है हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में जो संस्थायें जिस राज्य में कार्य कर रही हैं उन्हें चाहिये कि वह प्रयास करके 21 जून, 2011 के आदेश को अपने प्रदेश में लागू करवायें, रही बात उत्तर प्रदेश की सो उत्तर प्रदेश में 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग –6 ने एक शासनादेश जारी कर दिया है, इस शासनादेश के जारी होने के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है इस शासनादेश को परिचालित कराने हेतु 2 सितम्बर, 2013 को प्रदेश के चिकित्सा महा निदेशक ने भी आदेश जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश में अब कोई समस्या नहीं है। प्रतिनिधि मण्डल में शामिल बुन्देलखण्ड क्षेत्र के एक चिकित्सक ने शंका जताई कि आप कहते हैं कि निडर होकर प्रैक्टिस करें पर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कहते हैं हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए किसी तरह का कोई आदेश नहीं है इसपर डा0 इदरीसी ने कहा कि बहुत सम्भव है कि मुख्य चिकित्साधिकारी जी ने अज्ञानता वश ऐसी बात कह दी होगी आदेश सबके पास है शासन द्वारा भेजा जा चुका है, बोर्ड ने भी अपने स्तर से इस आशय का पत्र शासनादेश संलग्न करके प्रदेश के हर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित किया है फिर भी वह न मिलने की बात कहते हैं तो शासनादेश की कापी आप उन्हें उपलब्ध करा दें। एक चिकित्सक ने जानना चाहा कि सर आप कहते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां पंजीयन कराये मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय के बाबू सीधे मुह बात नहीं करते हैं और पंजीयन करना तो दूर पंजीयन का फार्म तक नहीं देते हैं बताइये ऐसे में हम कैसे पंजीयन करायें ?

इस पर डा0 इदरीसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना है तो हर चिकित्सक को चाहे वह किसी भी विधा का हो उसे अपना चिकित्सा व्यवसाय करने से सम्बन्धित पंजीयन का आवेदन करना है पंजीयन का आवेदन करना बाध्यता है पंजीयन करना या न करना मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विशेषाधिकार है यह बात हमने भी सूनी है कि कुछ ज़िलों में कुछ बाबू अभ्रदता कर देते हैं इस स्थिति से निपटने के लिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने सभी पंजीकृत चिकित्सकों के पास 4 पृष्ठ का एक परिपत्र भेजा है जिसमें आवेदन का प्रारूप, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित सभी आदेश छपे हैं इसे भरकर मुख्य

चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना है और प्राप्ति की एक प्रति अपने पास रखनी है। जो चिकित्सक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जाने से डरते हैं वह स्पीडपोस्ट के माध्यम से अपना प्रतिवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय भेजें और प्रेषित आवेदन की कापी तथा स्पीडपोस्ट की रसीद अपने पास रखें इसके लिए हमने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया था लोगों को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान चलाया गया लेकिन अब हम इसे क्या कहें कि हमारे चिकित्सकों ने इस कार्यक्रम में रूचि नहीं दिखायी लेकिन हम प्रयासशील हैं लोगो में चेतना आयेगी इसपर एक प्रतिनिधि ने कहा सर आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराइये प्रदेश में चल रहे अन्य संस्थाओं के संचालक कहते हैं कि अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिली है इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है वह लोग कहते हैं कि 22 जनवरी, 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया है कि प्रैक्टिस पर रोक नहीं है सर इन दो–दो तरह की बातों से चिकित्सक भ्रमित रहता है एक कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराओ दूसरा कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय जाओ तो वहां के अधिकारी भगा देते हैं इसका निदान आप लोगो के पास है क्या हम लोग ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे ?

शेष अगले अंक में

क्या आप जानते हैं ?

आपके अधिकारों की लड़ाई सदा से बोर्ड आफ़ॅ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, मेडिसिन उ0प्र0 ही लड़ता आया है प्राप्त अधिकार 4 जनवरी, 2012 व अनुपालन हेतु आदेश 2 सितम्बर , 2013 का अधिकारियों द्वारा लगातार उपेक्षित करने के विरोध में हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ एकजुट होकर अपनी आवाज़ को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलन्द करें

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की परीक्षायें 28 मार्च से प्रारम्भ

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा आयोजित क्रमशः **F.M.E.H.** सेमेस्टर, **A.C.E.H.** एवं **M.B.E.H.** वार्षिक की परीक्षायें आगामी 28 मार्च, 2016 से प्रारम्भ होंगी, परीक्षायें दो पालियों में आयेजित की जायेंगी प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक होंगी, **F.M.E.H.** सेमेस्टर तथा **A.C.E.H.** की सभी परीक्षायें प्रथम पाली में ही होंगी जबकि **M.B.E.H.** की वार्षिक परीक्षायें दोनों पालियों में होंगी। सभी अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र अपने–अपने केन्द्रों से मार्च के तीसरे सप्ताह में प्राप्त कर सकते हैं यह जानकारी बोर्ड के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने गज़ट को दी। परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है →

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION March 2016

Name of the course	28 th March, 2016 Monday		29 th March, 2016 Tuesday		30 th March, 2016 Wednesday		31 st March, 2016 Thursday	
	1st. Meeting	2nd Meeting	1st. Meeting	2nd Meeting	1st. Meeting	2nd Meeting	1st. Meeting	2nd Meeting
M.B.E.H. 1st. Professional	Anatomy 1st.	Anatomy 2nd.	Physiology 1st.	Physiology 2nd.	Pharmacy	Philosophy	XX	XX
M.B.E.H. 2nd. Professional	Pathology 1 st.	Pathology 2nd.	Hygiene and Health	M. Juris.Prud. & Toxicology	Materia Medica	Pract of Med. 1 st.	Pract of Med. 2 nd.	XX
M.B.E.H. Final Professional	Midwifery & Gynics. 1st.	Midwifery & Gynics. 2nd.	Opthalmology 1st.	Opthalmology 2nd.	Pract of Med. 1st.	Pract of Med. 2nd.	Materia Medica	XX
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	XX	Pharmacy & Philosophy	XX		XX	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	XX	Hygiene & Health	XX	Environmental Science	XX	XX	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	XX	M.Jurisprudence & Toxicology	XX	Dietetics	XX	XX	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	XX	Materia Medica	XX	Practice of Medicine	XX	XX	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	XX	Pharmacy-Philosophy & Materia Medica	XX	Pathology-Hygiene and M.Jurisprudence	XX	Midwifery Gynics Opthalmology & Practice of Med.	XX

Timing < 1st. Meeting : 8:00 A.M.to 11:00 A.M.
2nd. Meeting : 2:00 P.M. to 5:00 P.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge